बिहार में इस समय कितने खाद्य प्रसंस्करण एकका कार्यरत है,

(ख) क्या सरकार बिहार में भागलपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली में आम और लीची के उत्पादन के आधार पर नए एकक लगाने पर विचार कर रही है, और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित यूनिटों के संबंध में राज्यवार सूचना इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जाती है। बहरहाल, उपलब्ध सूचना के अनुसार बिहार से संबधित स्थिति निम्नानुसार है :-

	यूनिटों की संख्या
चावल मिल	4872
रोलर फलोर मिल	58
फल तथा सब्जी उत्पाद	41
मृदु वातित जल	12
दूध उत्पाद	2
संगठित बिस्कुट यूनिट	1
मांस प्रसंस्करण	1

(ख) और (ग) यह मंत्रालय स्वयं किसी राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना नहीं करता है।

बिहार में दलितों और पिछड़ों की हत्याओं के मामले

392. **श्री जनार्दन यादव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

*(क) मार्च, 1995 से जून, 1995 तक बिहार में हुई सामूहिक हत्याओं में कितने दलितों और पिछड़ों की हत्या हुई, और

(ख) इन हत्याओं को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या योजना बना रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी0 एम0 सईद) : (क) और (ख) बिहार सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

तेल शोधक कारखानों का निजीकरण

393. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1994-95 के दौरान निर्यात और स्वदेशी मांग की पूर्ति हेतु निजी क्षेत्र में नए तेल-शोधक कारखानों की स्थापना हेतु कुछ इकाइयों को स्वीकृति प्रदान की है,

(ख) यदि हां, तो निजी क्षेत्र की न इकाइयों का ब्यौरा क्या है जिन्हें तेल शोषक कारखाने स्थापित करने की अनुमति दी गई है तथा उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां इन तेल शोधक कारखानों को स्थापित किया जाना है,

(ग) निजी क्षेत्र के अंतर्गत अब तक कितने तेल शोधक कारखानों की स्थापना की गई है और की जा रही है तथा अनुमानित लागत कितनी है एवं उनका वार्षिक उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और

(घ) प्रस्तावित तेल शोधक कारखाने कब तक कार्य/उत्पादन करना शुरू कर देंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार ने निजी/संयुक्त क्षेत्र में निम्नलिखित रिफाइनरियों को स्थापित करने के लिए अनुमोदन दिया है।